संख्या- 72/2015/701/30-3-15-12बी/2012

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 अगस्त, 2015

विषय- परिवहन विभाग की हेल्पलाइन सेवा की संचालन अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-48(जी)कं0से0/2014-नजारत-(हे0ला0)/2012, दिनॉक 17-10-2014 एवं पत्रांक-09(जी)कं0से0/2015-नजारत-(हे0ला0)/2012, दिनॉक 21-03-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को जनसामान्य के लिए और अधिक सुलभ बनाने तथा सेवाओं को बढ़ाने हेतु सुझावों आदि को त्वरित गति से प्राप्त करते हुए सेवा से जुडी हुई समस्याओं के निराकरण के लिये प्रभावी कार्यवाही करने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से 03 सीटों के कालसेंटर/हेल्पलाइन की स्थापना की स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2501/30-03-2013-12बी/2012, दिनॉक 12-11-2013 द्वारा प्रदान की गयी है। वर्तमान में यह हेल्पलाइन प्रात: 9:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक संचालित है।

जनसामान्य को और अधिक तथा प्रभावी सेवा प्रदान किये जाने हेतु उक्त हेल्पलाइन को 24x7 संचालित करने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था-भारत संचार निगम लि0 के माध्यम से एक सीट के कालसेन्टर को स्थापित करते हुए रात्रि 8:00 बजे से प्रात: 9:00 बजे तक उक्त हेल्पलाइन का विस्तार किये जाने हेतु इस पर आने वाले वार्षिक व्यय रू0 10,08,216/-(रू0 दस लाख आठ हजार दो सौ सोलह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन पर व्यय में मितव्ययिता का ध्यान रखा जाएगा।
(3) इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था-भारत संचार निगम लिमिटेड को वास्तविक रूप से हुए व्यय का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

http://sfcgsamadhan.up.nic.in

(4) धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) हेल्पलाइन की उपयोगिता की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में परिवहन आयुक्त द्वारा की जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-08-कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-72/2015/701(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- भारत संचार निगम लि0, के सक्षम प्राधिकारी को द्वारा परिवहन आयुक्त।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(सीताराम यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in